

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 591/2016

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

तहसीलदार, पचपदरा 1. ग्राम पंचायत, बिठूजा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86
भू-अभिलेख नियम 1970.



आदेश


दिनांक 11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्बत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम भिण्डाकुआ में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नहीं किया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /बारहमासी मार्ग भिण्डाकुआ के खसरा नंबर 51,52 में चल रहा है।

अतः मौजा बांकियावासकंला भिण्डाकुआ से आसोतरा सड़क तक खसरा नंबर 51, 52 रकबा 0.12, 8.10 बीगा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/सड़क का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारों को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नहीं किया। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

अवस्थित पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।
अवस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा भिण्डाकुआ में अवस्थित खसरा नंबर 52, 51 रकबा 0.12 व 8.10 बीगा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब' नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय में दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बीलौंसरा

